(164)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 13/2009–10

गोपाल प्रसाद मंडल ..... आवेदक

बनाम

धनराज महतो एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

30/05/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 13/2009–10 गोपाल प्रसाद मंडल बनाम् धनराज महतो एवं अन्य, मौजा मचला अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के रे0मि0 वाद सं0 628/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2008 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल लिखित बहस एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु धारा 06 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया। इसके अलावे जुना मुर्मू द्वारा भी सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया था। इस पर अंचल अधिकारी, जरमुंडी द्वारा प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार मौजा के जमाबन्दी नं0 01 में अकलु मंडल का नाम गैंजर पर्चा में प्रधान के रूप में अंकित है। आवेदक गैंजर प्रधान अकलु मंडल के परपोता है। उसी प्रकार जमाबन्दी सं0 02 में फोगड़ा मुर्मू का नाम गैंजर पर्चा में प्रधान के रूप में दर्ज है एवं जूना मुर्मू उनके पोता है। इसी आधार पर दोनों के द्वारा निम्न न्यायालय में सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित है कि धनराज महतो (विपक्षी) मौजा में नियुक्त प्रधान है एवं इनकी बहाली लगभग 27 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसी प्रतिवेदन में आधार पर आवेदक का आवेदन को निम्न न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा कभी भी प्रधान नियुक्ति हेतु न्यायालय में आवेदन दाखिल नहीं किया गया है किन्तु अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जुना मुर्मू जो जमाबन्दी नं0 02 के गैंजर प्रधान के पोता है एवं विपक्षी के दादा गुरू महतो तथा अन्य द्वारा निम्न न्यायालय में प्रधान नियुक्ति हेतु पी0ए0 वाद सं0 12/1966–67 दायर किया गया था जिसमें सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए गुरू महतो (विपक्षी) के पिता को 81 उपस्थित

जमाबन्दी रैयतों में से 60 रैयतों की सहमति के आधार पर प्रधान नियुक्त किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0 144/1966–67 दायर किया गया था। इस अपील वाद को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आदेश दिनांक 12.12.1966 को खारीज किया गया है। गुरू महतो के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विपक्षी को पी0ए0 वाद सं0 156/1980–81 आदेश दिनांक 08.08.1981 द्वारा मौजा का प्रधन पद पर नियुक्त किया गया है। तब से विपक्षी मौजा में प्रधान पद पर कार्यरत है।

आवेदक का दावा है कि गैंजर सर्वे में दो प्रधान थे जिसमें एक प्रधान के स्थान पर विपक्षी के पिता को आठ आना का प्रधान नियुक्त किया गया था एवं उनके मृत्यु के पश्चात विपक्षी को नियुक्त किया गया है। अन्य आठ आना प्रधान पद जिसमें आवेदक के दादा प्रधान थे, रिक्त है एवं उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए किन्तु अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवेदक के पूर्वज मौजा के आठ आना के प्रधान थे। साथ ही विपक्षी के पिता की नियुक्ति आदेश (पी0ए0 वाद सं0 12/1966–67 आदेश दिनांक 16.09.1966) में ऐसा उल्लेख नहीं है कि उन्हें मौजा का आठ आना प्रधान नियुक्त किया गया हो। बल्कि उनके नियुक्ति आदेश में अंकित है कि– "इस तरह गुरू महतो (विपक्षी के पिता) को अधिक मत मिलते है। उन्हें ग्राम मचला सर्किल सहरा–महरा का प्रधान नियुक्त किया जाता है।"

इस आदेश के विरूद्ध में दायर अपील को उपायुक्त द्वारा खारीज किया जा चुका है। उपरोक्त आदेश से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विपक्षी के पिता को आठ आना का प्रधान नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी मौजा का नियुक्त प्रधान के आधार पर कार्यरत है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।